2019 का विधेयक संख्यांक 2

[दि ट्रेड यूनियनस (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

5 (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

नई धारा 10क का अंतःस्थापन ।

2. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1926 का 16

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों की मान्यता ।

"10क. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी और यदि ऐसी मान्यता के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी और यदि ऐसी मान्यता के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

धारा 29 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) यथास्थिति, केन्द्रीय व्यवसाय संघ या राज्य व्यवसाय संघ के रूप में व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ की मान्यता की रीति और प्रयोजन तथा ऐसी मान्यता से उत्पन्न विवादों का विनिश्चय, जिसके अंतर्गत ऐसे विवादों के विनिश्चय की रीति भी हैं, करने के लिए प्राधिकरण ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (उक्त अधिनियम) व्यवसायों संघों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए और कतिपय पहलुओं पर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित विधि को परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।

2. स्वतंत्रता पूर्व विधान होने के कारण उक्त अधिनियम में केवल व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है । अधिनियम में व्यवसाय संघों की मान्यता का कोई उपबंध नहीं है । तथापि, वर्तमान में व्यवसाय संघ की मान्यता 1958 में तैयार की गई नियोजकों और कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छया स्वीकृत अनुशासन संहिता में दिए गए अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती है ।

3. चूंकि, विभिन्न प्रदेशों से व्यवसाय संघों की मान्यता को कानूनी बल प्रदान करने के लिए मांग की जा रही है, जिससे देश में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए सरकार ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों या व्यवसाय संघों के परिसंघ की मान्यता का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है । समुचित सरकार को ऐसी मान्यता की रीति और प्रयोजनों को सुकर बनाने के लिए विनियम बनाने हेतु भी सशक्त किए जाने का प्रस्ताव है ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

संतोष कुमार गंगवार

नई दिल्ली ;
3 जनवरी, 2019

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 29 की उपधारा (2) में खंड (खक) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे समुचित सरकार को, यथास्थिति, केंद्रीय व्यवसाय संघ या राज्य व्यवसाय संघ के रूप में व्यवसाय संघों या व्यवसाय संघों के परिसंघ की मान्यता के लिए रीति और प्रयोजनों का तथा ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले विवादों को विनिश्चित करने के लिए, जिसके अंतर्गत ऐसे विवादों को विनिश्चित करने की रीति भी है, प्राधिकरण का उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत समुचित सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अंत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—3081LS(CRC)—04-01-2019.